

दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक – काज़ी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

विष्णु चाटे को चार दिन की सीआईडी हिरासत देशमुख हत्या प्रकरण : तीन आरोपियों को बारह दिन कि सीआईडी हिरासत

बीड : संतोष देशमुख हत्या मामले में तीन आरोपियों को बारह दिन की तथा इसी प्रकरण से जुड़े फिरौती मामले के आरोपी विष्णु चाटे को चार दिन की सीआईडी हिरासत सुनाई गई है। सोमवार, 6 जनवरी को संतोष देशमुख हत्याकांड के आरोपी जयराम चाटे, महेश केदार और प्रतीक घुले के साथ-साथ आवाद एनर्जी पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट के फिरौती मामले के आरोपी विष्णु चाटे को भारी पुलिस बंदोबस्त में



सरकारी वाहन से केज पुलिस स्टेशन लाया गया। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया। हत्या मामले में आरोपी जयराम चाटे, महेश केदार और प्रतीक घुले के खिलाफ सुनवाई हुई, जिसके बाद फिरौती मामले के आरोपी विष्णु चाटे की सुनवाई की गई। इन सभी चारों आरोपियों को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी श्रीमती एस. वी. पावसकर के समक्ष पेश किया गया। न्यायाधीश पावसकर ने हत्या मामले

के तीनों आरोपियों जयराम चाटे, महेश केदार और प्रतीक घुले को 18 जनवरी तक 12 दिन की सीआईडी हिरासत सुनाई, जबकि फिरौती के मामले में आरोपी विष्णु चाटे को 10 जनवरी तक 4 दिन की सीआईडी हिरासत दी गई। इन दोनों मामलों में सरकारी पक्ष की ओर से एडवोकेट बाळासाहेब कोल्हे और आरोपियों की ओर से एडवोकेट अनंत तिडके ने अदालत के समक्ष युक्तिवाद किया।

संतोष देशमुख हत्या मामले में आरोपियों द्वारा डिलीट किया गया महत्वपूर्ण सबूत रिकवर

बीड : मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख हत्या मामले की जांच सीआईडी और एसआईटी (विशेष जांच दल) द्वारा की जा रही है। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और एसआईटी व सीआईडी ने कई सबूत जुटाए हैं। हालांकि, कुछ सबूतों को आरोपियों ने नष्ट करने का प्रयास किया था। इनमें संतोष देशमुख की पिटाई का वीडियो आरोपियों के मोबाइल फोन में था, जिसे आरोपियों ने डिलीट कर दिया था। इसके कारण इस केस का एक महत्वपूर्ण सबूत नष्ट हो गया था। लेकिन अब एसआईटी ने वह सबूत

रिकवर कर लिया है और मोबाइल से डिलीट किया गया डेटा भी प्राप्त कर लिया है। सरपंच संतोष देशमुख की पिटाई का वीडियो एसआईटी ने रिकवर कर लिया है। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि आरोपी संतोष देशमुख को बेरहमी से पीट रहे थे और इस पर आनंद ले रहे थे। यह वीडियो आरोपियों के फोन में मौजूद था, जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया था। अब विशेष जांच दल (एसआईटी) को इसे रिकवर करने में सफलता मिली है। एसआईटी ने इस सबूत को अदालत में पेश कर दिया है।

मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज, वंजारी समाज ने जताया विरोध

परली : मराठा आंदोलन के प्रमुख नेता मनोज जरांगे ने परभणी में आयोजित मौन मोर्चे के दौरान मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया और दो समाजों के बीच तनाव पैदा करने वाला बयान दिया। उनके इस विवादास्पद बयान के बाद परली पुलिस थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच, बीड के शिवाजीनगर पुलिस थाने में वंजारी समाज के लोग एकत्र होकर मनोज जरांगे के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, परभणी में हुए मौन मोर्चे के दौरान मनोज जरांगे ने अपने भाषण में मंत्री धनंजय मुंडे पर शिंशा साधते हुए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने भाषण में इशारों-इशारों में कहा कि "धनंजय मुंडे को सड़क पर नहीं छोड़ा जाएगा।" इसके अलावा, उन्होंने 'मुंड्या-फिंड्या',

'हरामखोर', 'अवलादी' जैसे आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, जिससे धनंजय मुंडे के समर्थकों में भारी आक्रोश फैल गया। इसी विवाद के चलते आज सुबह से ही परली पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में धनंजय मुंडे समर्थक इकट्ठा हो गए और मनोज जरांगे के खिलाफ नारिबाजी करने लगे। पुलिस थाने के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे तनावपूर्ण माहौल बन गया। प्रदर्शनकारियों ने जोर देकर कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती, वे आंदोलन जारी रखेंगे। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने शिकायत दर्ज कर इस पर कार्रवाई शुरू की। आखिरकार, तुकाराम बाबूरवा आधव की शिकायत पर मनोज जरांगे के खिलाफ परली पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 के तहत संगठित अपराध (एनसीआर) का मामला दर्ज किया गया। अब पुलिस इस मामले की आगे जांच कर रही है।

बाबा सिद्दीकी हत्याकांड: चार्जशीट दाखिल, आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग

मुंबई : मुंबई क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) कोर्ट में 4,500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें पूर्व विधायक बाबा सिद्दीकी की हाई-प्रोफाइल हत्या में 26 लोगों के शामिल होने का विवरण दिया गया है। चार्जशीट में 175 गवाहों के बयान शामिल हैं और इसमें बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे संगठित अपराध के कनेक्शन को उजागर किया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में धर्मराज राजेश कश्यप, गरमल बलजीत सिंह और प्रवीन

लॉकर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, जिस व्यक्ति ने गोली चलाई, शिवकुमार गौतम, वह अब भी फरार है। घटना के समय तीनों आरोपी मौके पर मौजूद थे। रिपोर्ट के अनुसार, शिवकुमार ने ही दोनों आरोपियों से बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने के लिए कहा था। गौरतलब है कि 66 वर्षीय महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी ने इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर अजीत पवार की अगुवाई वाली NCP में शामिल होने का फैसला किया था। 12 अक्टूबर 2024 की रात, मुंबई के बांद्रा

इलाके के खेर नगर में उनके विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर, तीन लोगों ने उन पर फायरिंग की थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। आज दाखिल की गई चार्जशीट में बताया गया है कि आरोपियों की योजना यह थी कि आरोपी धर्मराज और गरमल, बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाएं। हालांकि, शिवकुमार ने अंतिम समय में अपना प्लान बदल दिया और सिद्दीकी के आसपास भारी पुलिस बल को देखते हुए खुद ही गोली चला दी। उसने धर्मराज और गरमल को भी गोली चलाने और भागने का आदेश दिया। हमले के दौरान शिवकुमार ने बाबा सिद्दीकी पर छह राउंड फायरिंग की थी

कोरोना जैसे HMPV वायरस के 8 केस, सभी बच्चे : महाराष्ट्र में 2 बच्चे पॉजिटिव; कल कर्नाटक-तमिलनाडु में 2-2, बंगाल-गुजरात में एक-एक बच्चा संक्रमित मिला

बेंगलुरु/चेन्नई/अहमदाबाद : सोशल मीडिया पर चीन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ HMPV वायरस से संक्रमित लोगों की है। सोशल मीडिया पर चीन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ HMPV वायरस से संक्रमित लोगों की है। कोरोना जैसे HMPV वायरस के केस बढ़कर 8 हो गए हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहां एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित मिला है।

दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी-बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब की जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में एक-एक केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। सभी पीड़ित बच्चे हैं। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा था कि यह वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे

को तबीयत खराब होने पर 15 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उस बच्चे को सर्दी और तेज बुखार था। शुरुआत में 5 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर भी रखा गया था। इसके बाद हुई जांचों में वायरस के संक्रमण का पता चला। कर्नाटक के दोनों केस के बारे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बच्चे रूटीन जांच के लिए अस्पताल पहुंचे थे। टेस्ट कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि कर्नाटक में 2 बच्चों को सही जेपी नड्डा ने कहा था कि यह वायरस सामान्य है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में 2 महीने के बच्चे

तबलीगी जमात क्या है?



भाषान्तर, **सलीम जहांगीर** बीड

तबलीगी जमात एक ऐसा समूह है जो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने और पूरी दुनिया में नैतिकता, सदाचार और जीवन मूल्यों को फैलाने का कार्य करता है। हमारे भारत देश को गर्व होना चाहिए कि तबलीगी जमात का वैश्विक केंद्र दिल्ली में स्थित है। दिल्ली स्थित तबलीगी जमात के मुख्य केंद्र में विभिन्न देशों के लोग आते हैं, यहाँ से इस्लामिक शिक्षाएं प्राप्त करते हैं और फिर दुनिया भर में जाकर लोगों को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। **तबलीगी जमात क्या सिखाती है?** तबलीगी जमात में मुख्य रूप से 6 सिद्धांतों को अपनाने और उनके अनुसार जीवन जीने का अभ्यास कराया जाता है। 1) **ईमान (आस्था)**

तबलीगी जमात की पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा ईमान है। **ईमान का अर्थ है:** यह मानना कि ईश्वर एक ही है और केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। भले ही किसी ने ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन पूरी सृष्टि का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है। यह विश्वास रखना कि हर समय ईश्वर हमें देख रहा है, इसलिए हमें किसी भी गलत कार्य से बचना चाहिए। **ईमान की पहचान:** यदि किसी व्यक्ति को हर कार्य करते समय यह अहसास होता है कि ईश्वर उसे देख रहा है, और वह किसी भी गलत कार्य से बचता है, तो यह ईमान की सबसे ऊँची अवस्था मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति रास्ते में किसी को नुकसान

पहुँचाने वाली वस्तु देखकर उसे हटा देता है ताकि किसी और को कष्ट न हो, तो यह भी ईमान का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को देखता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तो यह ईमान की एक और पहचान है। यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य को न रोक सके लेकिन मन में यह विचार करे कि यह गलत हो रहा है, तो यह ईमान की सबसे अंतिम अवस्था मानी जाती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के मन में गलत कार्य को देखकर कोई प्रतिक्रिया ही न आए, तो इसका मतलब है कि उसका ईमान खत्म हो चुका है। 2) **नमाज़ (इबादत)** ईमान के बाद अगला कदम नमाज़ है। इस्लाम के अनुसार, अब तक जितने भी पैगंबर आए (लगभग

1,24,000), उन्होंने लोगों को ईश्वर की प्रार्थना करने की शिक्षा दी। नमाज़ का अर्थ है ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना और उसका धन्यवाद करना। हर ईमान रखने वाले व्यक्ति को रोजाना कम से कम 5 बार नमाज़ पढ़नी चाहिए। प्रार्थना करते समय यह मानना चाहिए कि ईश्वर हमारे सामने है और हम उसके समक्ष झुक रहे हैं। 3) **इल्म (ज्ञान) और ज़िक्र (ध्यान)** नमाज़ पढ़ने के बाद व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने और ईश्वर को याद करने (ध्यान) की ओर बढ़ना चाहिए। **इल्म (ज्ञान):** प्रत्येक व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। हलाल और हराम (वैध और अवैध) का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। **हराम (वर्जित चीज़ें):**

इस्लाम में जिन चीज़ों को हराम कहा गया है, उनका पालन न करना चाहिए, जैसे: शराब पीना, जुआ खेलना, सूद (ब्याज) लेना-देना, माता-पिता से ऊँची आवाज़ में बात करना,विधवाओं और अपंग लोगों को बुरी नज़र से देखना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना **ज़िक्र (ध्यान):** हर कार्य को करने से पहले ईश्वर का नाम लेना। हर समय ईश्वर की स्तुति और स्मरण करना। 4) **इकराम (सम्मान और अच्छे आचरण)** तीन चरण पूरे करने के बाद, चौथा सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। **इकराम का अर्थ है:**

सभी इंसानों को भाईचारे और प्रेम के साथ देखना। सभी को सम्मान देना, विशेष रूप से बुजुर्गों का आदर करना। किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना, भले ही कोई हमसे नाराज़ हो। मोहम्मद पैगंबर के जीवन से प्रेरणा लेना और उनके बताए रास्ते पर चलना। 5) **इखलास (निस्वार्थ सेवा और सत्यनिष्ठा)** जब कोई व्यक्ति उपरोक्त चार शिक्षाओं को आत्मसात कर लेता है, तो उसे बिना किसी स्वार्थ और दिखावे के अच्छे कार्य करने चाहिए। जो भी अच्छा काम करें, वह सिर्फ ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करें, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर हर कार्य को देख रहा है। 6) **दावत और तबलीग** तबलीग का

अर्थ है: जो ज्ञान आपने सीखा, उसे दूसरों तक पहुँचाना। लोगों को सत्य और नैतिकता के मार्ग पर लाना। दूसरों को प्रेरित करके उनकी एक जमात (समूह) बनाना और उन्हें भी इन शिक्षाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करना। तबलीगी जमात कैसे कार्य करती है? तबलीगी जमात का उद्देश्य समाज में भटक हुए लोगों को सही राह पर लाना और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना है। जो लोग व्यसन, गलत आदतों और अपराधों में लिप्त हो जाते हैं, उनके परिवार वाले उन्हें तबलीगी जमात में भेजते हैं। ये लोग 40 दिन या 4 महीने तक तबलीगी जमात के साथ रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहकर सिर्फ आध्यात्मिक और नैतिक सुधार पर ध्यान देते हैं। तबलीगी जमात के सदस्य मस्जिदों

में रहते हैं और वहीं से अपने कार्यों को संचालित करते हैं। इस जमात में कोई भी आर्थिक लाभ नहीं लिया जाता और सभी सदस्य अपने खर्च स्वयं उठाते हैं। तबलीगी जमात का उद्देश्य शांति और सच्चाई के संदेश को फैलाना और लोगों को अहिंसा और सदाचार के मार्ग पर लाना है। यह संगठन प्रचार और विज्ञापन में विश्वास नहीं करता, इसलिए इसमें शामिल सदस्यों को सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। **तबलीगी जमात का महत्व** तबलीगी जमात में शामिल होने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। इसलिए, यह कहा जाता है: "जो व्यक्ति दुनिया में कहीं नहीं सुधरता, वह तबलीगी जमात में जरूर सुधर जाता है।

